

राजस्थान सरकार  
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प. 6(21)शिक्षा/ग्रुप-3/2017

जयपुर, दिनांक: 28 MAY 2020

:- आदेश :-

राजकीय महाविद्यालय, राजाखेड़ा में प्राचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षक के पदों को स्नातक से स्नातकोत्तर पर क्रमोन्नत करने व 02 सहायक आचार्य के नवीन पदों के सृजन के संबंध में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. राजनीति विज्ञान विषय प्रारंभ करने हेतु विभागीय बजट मद 2202-03-103-02-00 राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिए)-(स्कीम) में सहायक आचार्य के 02 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. आवृत्तक/अनावृत्तक व्यय हेतु राशि रु. 56.40 लाख के अतिरिक्त प्रावधान के संबंध में आयुक्त, कॉलेज शिक्षा को वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रावधित राशि से व्यय करने एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रावधान के संबंध में वांछित प्रस्ताव संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2020-21 में यथा समय वित्त विभाग को प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है।
3. कार्मिक विभाग के Notification दिनांक 31.01.2018 के अनुसार प्राचार्य पद का स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अन्तर समाप्त कर दिया गया है। अतः इस पद को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार कार्मिक विभाग के Notification दिनांक 02.05.2017 के अनुसार पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षक के पद स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर एक ही ग्रेड के हैं। अतः इन पदों को भी स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत करने की आवश्यकता नहीं है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 102001582 दिनांक 12.05.2020 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. मोहम्मद नईम)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को मय उनकी पत्रावली क्रमांक एफ 12(101/44)आयो/आकाशि/2020-21 मय नोटशीट के।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग।
11. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

**आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक : एफ 20 (101/ )/आयो/आकाशि/2020-21/ 211-227 दिनांक: 02 जून, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 महालेखाकार लेखा एवं हक राजस्थान, जयपुर।
- 2 संयुक्त शासन, सचिव माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान जयपुर।
- 3 निजी सचिव माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
- 4 निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 5 निजी आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 6 संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 7 संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 8 संयुक्त शासन सचिव आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 9 संयुक्त सचिव (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 10 कुल सचिव, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
- 11 वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 12 संयुक्त निदेशक, (एच आर डी/प्रशासन) कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 13 संयुक्त निदेशक, अकादमी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 14 प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, राजाखेडा।
- 15 वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर।
- 16 रक्षित पत्रावली।

  
2.6.2020  
संयुक्त निदेशक (आयोजना)